128

संख्या–464 / VI-2/2014–29(2)2014

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादून दिनांक : 01 अक्टूबर, 2014

विषय :–ग्राम पौण, चैसर एवं भुरमुनी में मिनी स्टेडियम के स्थान पर खेल मैदान बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश एवं घोषणा के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पौण, ग्राम चैसर एवं ग्राम भुरमुनी में मिनी स्टेडियम के स्थान पर खेल मैदान बनाये जाने हेतु ₹15.00 लाख प्रति खेल मैदान अर्थात् कुल ₹45.00 लाख (₹पैंतालीस लाख) मात्र की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं अपर मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या 80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014–15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

8– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9–प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में करायी गयी डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

10– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

11– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.10.2010 के प्राविधानानुसार द्वितीय चरण का विस्तृत आंगणन/डी0पी0आर0 समयबद्व रूप से तैयार कराकर प्रस्तुत किया जायेगा।

13– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या 11–के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवा सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–0103–ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास (90 प्रतिशत के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य** मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–167(P)/XXVII (3)/2014–15 दिनांक 01.10.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या–464/ VI-2/2014–29(2)2014 तद्दिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपिः–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
6. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
7. एन0आई0सी0 देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनुसचिव

\\10.129.11.152\TF Folder\GO of Khel Maidan docx